



राजस्थान सरकार  
देवस्थान विभाग

**कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु श्रद्धालुओं को सहायता आवेदन -पत्र**

सेवामें,

सहायक आयुक्त,  
देवस्थान विभाग,  
.....(राज.)  
द्वारा : उपखण्ड अधिकारी.....

पासपोर्ट साईज का  
प्रमाणित फोटो

विषय:- कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु सहायता अनुदान स्वीकृति के क्रम में।

1. आवेदक का नाम: \_\_\_\_\_
2. पिता/पति का नाम: \_\_\_\_\_
3. जन्म दिनांक: \_\_\_\_\_
4. वर्तमान पता: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
5. कैलाश मानसरोवर यात्रा की अवधि: \_\_\_\_\_
6. संलग्न दस्तावेज (प्रमाणित प्रतियाँ)
  - (1) राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण-पत्र : \_\_\_\_\_  
जारी करने की दिनांक \_\_\_\_\_ व स्थान \_\_\_\_\_
  - (2) पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति:- पासपोर्ट क्रमांक: \_\_\_\_\_
  - (3) यात्रा संबंधी वीजा अंकन की प्रमाणित प्रति :-  
अंकित स्थाई पता: \_\_\_\_\_
  - (4) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न करने का प्रमाण पत्र : \_\_\_\_\_  
वीजा अंकन (सील) दिनांक: \_\_\_\_\_ जारी करने की दिनांक: \_\_\_\_\_
  - (5) आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति।

स्थान :-  
दिनांक :-

हस्ताक्षर आवेदक

**प्रमाण - पत्र**

मैं सत्यनिष्ठा के साथ प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में प्रदान की गई सूचना सत्य है। इसमें मेरे द्वारा कोई जानकारी/तथ्य छिपाये नहीं गये है। उल्लेखित विवरण में किसी भी तथ्य के मिथ्या प्रकट होने पर सहायता राशि विभाग में जमा कराने का उत्तरदायित्व मेरा होगा।

हस्ताक्षर आवेदक

रापत्रित अधिकारी/नोटरी/ओथ. कमिश्नर द्वारा प्रमाणित

**प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट**

क्रम संख्या ( पसे अ ) में दर्शायी गई संलग्न प्रमाणित प्रतियों का प्रस्तुत मूल दस्तावेजो से मिलान किया जा कर सही पाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी/सहायक आयुक्त देवस्थान